

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी ।

मुकदमा संख्या- 35/ 2019

सरकार

बनाम

श्रीमती मानवती ।

धारा- 60 आबकारी अधिनियम

थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी ।

मु. अ. सं. - 166/ 2018

मैं, **सुनील शेखर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी आप अभियुक्त **श्रीमती मानवती** को निम्न रूप में आरोपित करता हूँ:-

1- यह कि दिनांक 16. 07. 2018 को समय 19. 15 बजे व स्थान फरीदा डेरा जाने वाली सड़क पर वहद ग्राम फरीदा थाना गुरसरांय, जिला- झांसी में पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया एवं आपके कब्जे से दो अदद प्लास्टिक की पिपिया में कुल 40 ली० कच्ची शराब बरामद की गयी। इस प्रकार आपने आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

अतएव मैं एतद्वारा आपको निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

दिनांक- 02. 08. 2022

(सुनील शेखर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

गरौठा, झांसी ।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की ।

दिनांक- 02. 08. 2022

(सुनील शेखर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

गरौठा, झांसी ।